

15/10/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री पोरेश पाडेया, पिता-स्व० छोटा डोबरो पाडेया, ग्राम-सिकुर साई, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा-सिकुर साई, थाना नं०-124, खाता नं०-15, प्लॉट नं०-33, कुल रकवा-0.05 एकड़ भूमि क्रेता पार्वती कुदादा उर्फ पार्वती पुरती, पिता-स्व० मोटाय पुरती, पति-बोयां कुदादा, ग्राम-चिमिहातु, थाना-मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से आम सूचना निर्गत किया गया। तामील अत्रापट्टी है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी सदर चाईबासा के पत्रांक 1023 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा जाँच के समय मांगी गई वांक्षित कागजात उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण जाँच किया जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।